

संख्या:-शिक्षा-एच(21)ए(1)पी.एस-16/2017-सामान्य निर्देश
शिक्षा निदेशालय (उच्चतर)
हिमाचल प्रदेश।

दिनांक : शिमला-171001

12 अप्रैल 2018

सेवा में

समस्त उप शिक्षा निदेशक (उच्चतर)
हिमाचल प्रदेश।

विषय:- स्कूली बच्चों की सुरक्षा सम्बन्धी।

ज्ञापन,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में सचिव, (शिक्षा) हिमाचल प्रदेश से प्राप्त पत्र संख्या: ई0डी0एन0-सी0-ए0(1)2/2018 दिनांक 10 अप्रैल 2018 के अर्न्तगत इस निदेशालय के ध्यान में लाया गया है कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा से जुड़े बहुत से मामले सरकार के ध्यान में आये हैं। अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि आप अपने-अपने कार्यक्षेत्र में संचालित सरकारी एव निजी स्कूलों में पढ रहे छात्रों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर आगामी कार्यवाही करे।

1. सरकारी स्कूलों के भवनो सम्बन्धी मुद्दे:-

i)

कुछ भवनों की स्थिति सही नहीं है उन्हें असुरक्षित (unsafe) घोषित करने की प्रक्रिया में तेजी जाई जाए तथा वैकल्पिक व्यवस्था में सहायता दें।

ii)

भवनों के चारों ओर दीवार लगवाने की प्रक्रिया विभाग ने शुरू कर रखी है जहां पर कोई कमी रह गई है उसमें आप सहयोग अपेक्षित है।

iii)

बिना अवरोध के शिक्षा के लिए स्कूलों में ramp की व्यवस्था की गई है। कृप्या यह भी सुनिश्चित करवा लें कि यह पूरी तरह से निरापद है।

2.

स्कूलों के भवनो के समीप शराब ठेके या किसी भी अन्य प्रकार से नशीले पदार्थ इत्यादि पर भी चौकसी अनिवार्य है।

3.

छूआछूत जैसी छूटपुट घटनायें अभी भी घटित हो रही हैं। स्थानीय निकाय RTE Act के तहत वैधानिक तौर पर जिम्मेवार है। विभाग ने मिड-डे-मील में बच्चों को बिठाने की व्यवस्था की है। आपकी प्रभावी निगरानी इन सब बातों पर अपरिहार्य है।

4.

बच्चों को लाने ले जाने वाले साधन:-

देश के सर्वोच्च न्यायालय और प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का अनुपालना अपरिहार्य है। बच्चों को वाहनो में ठूस-ठूस कर भरने की प्रवृत्ति, यातायात नियमों को ताक पर रखकर वाहनो का चलाना और वाहनो का नियमों के प्रतिकूल होना सब किसी न

DDHE 12/4/18

OS
12/4/18

G-11

721

किसे दूधटना का कारण है। इन प्रवृत्तियों पर भी रोक लगाई जाये।

अतः उक्त बिन्दुओं के सन्दर्भ में आपको निर्देश दिये जाते हैं कि आप स्कूली छात्रों की सुरक्षा के हितों को ध्यान में रखते हुए समस्त निजी स्कूलों के प्रधानाचार्यों/मुध्याध्यापकों को छात्रों को स्कूल लाने व ले जाने वाले वाहनो में **overloading** न करने तथा यातायात नियमों का पालन करने के निर्देश जारी करे तथा स्कूली छात्रों की सुरक्षा के सन्दर्भ में उक्त बिन्दुओं की अनुपालना रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रेषित करे।

सं० शिक्षा निदेशक उच्चतर (महावि०)
हिमाचल प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सम् दिनांक: शिमला- 171001, 12 अप्रैल, 2017
प्रतिलिपि सूचनार्थ आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित है:

1. सचिव, (शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या: ई०डी०एन०-सी०-ए०(1)2/2018 दिनांक 10 अप्रैल 2018 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।
2. अधीक्षक ग्रेड-1, भवन एवं पेंशन शाखा शिक्षा निदेशालय उच्चतर को उक्त क्रम संख्या 01 में जारी निर्देशों के सन्दर्भ में आगामी आवश्यक कार्यवही करने हेतु प्रेषित है।
3. तकनीकी अधिकारी, कम्प्युटर शाखा, शिक्षा निदेशालय उच्चतर को विभागिय वेबसाईट पर चढाने हेतु प्रेषित है।
4. रक्षक नस्ति ।

शिक्षा निदेशक उच्चतर हिमाचल प्रदेश

सं० शिक्षा निदेशक उच्चतर (महावि०)
हिमाचल प्रदेश।

Endst. No: - EDN-U (G-4R) Misc. 2016/- 3556
Office of the Deputy Director of Higher Education,
UnaDistt. Una (HP).

Dated

Una

27/04/2018
December, 2018

All the Principals/ Headmasters Govt. Senior Secondary Schools /
High Schools / Private Schools in Una Distt. for information and necessary action.

Dy. Director of Higher Education,
UnaDistt. Una (HP).